



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 24, 2018/माघ 4, 1939

No. 36]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 24, 2018/MAGHA 4, 1939

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2018

सं. ए-12011/1/2017-स्था.(वोल-1).-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1982 का 2) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सं ए-12011/1/2005-स्था. दिनांक 25.10.2006 के द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों, 2006 तथा सं.ए-12011/2/2015-स्था. दिनांक 27.7.2016 के द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड भर्ती एवं प्रोन्नति (संशोधित) नियम, 2015 के क्रम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, मुख्य क्षेत्रीय नियोजक, संयुक्त निदेशक (तक.) एवं उप निदेशक (प्रशा.), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के पदों पर भर्ती की पद्धति में निम्नलिखित संशोधन करता है:

1. लघु शीर्ष और प्रारंभ

(i) इन नियमों को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड भर्ती और प्रोन्नति (संशोधित) विनियम, 2017" कहा जा सकता है।

(ii) शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से ये संशोधन प्रवृत्त माने जाएंगे।

2. अधिसूचना सं. ए-12011/1/2005-स्था. दिनांक 25.10.2006 एवं सं.ए-12011/2/2015-स्था. दिनांक 27.7.2016 में खंड 14.2 के बाद, मुख्य क्षेत्रीय नियोजक, संयुक्त निदेशक (तक.) एवं उप निदेशक (प्रशा.) के पद हेतु दी गई तालिका को निम्नलिखित अनुसूचियों से प्रतिस्थापित किया जाता है:

मुख्य क्षेत्रीय नियोजक:

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड व ग्रेड पे/वेतनमान	चयनित अथवा गैर चयनित पद	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ
1	2	3	4	5	6	7
मुख्य क्षेत्रीय नियोजक	1	ग्रुप ए	लेवल-13 ए (रु.131100-216600) (संशोधन पूर्व वेतनमान पीबी-4 रु. 37400-67000 ग्रेड पे	लागू नहीं	50 वर्ष	अनिवार्य: i.बी.आर्क/ बी.ई (सिविल)/ नियोजन में स्नातक/ एम.ए. (भूगोल) एवं शहरी/ क्षेत्रीय नियोजन में स्नातकोत्तर

			8900 छठे सीपीसी में)			ii.स्थानीय निकाय अथवा सरकारी/ सरकारी उपक्रम या मान्यता प्राप्त संस्थान में नगर तथा क्षेत्रीय योजना में 15 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 5 वर्ष नगर/क्षेत्र/नगर एवं ग्राम योजना तैयार करने तथा उसके कार्यान्वयन एवं अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन एवं निगरानी का अनुभव हो। वांछित: नगर नियोजकों की संस्था का सदस्य (फेलो) (FITP)
--	--	--	----------------------	--	--	--

क्या पदोन्नति मामलो में भी सीधी भर्ती हेतु तय की गई आयु तथा शैक्षिक अर्हताएँ मान्य होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो तो,	भर्ती पद्धति: सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण तथा विभिन्न पद्धतियों से भर्ती का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/समावेशन जिस ग्रेड से किया जाना है:
8	9	10	11
आयु— लागू नहीं सीधी भर्ती हेतु मान्य शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नति मामलो में भी लागू होगी	सीधी भर्ती मामलो में एक वर्ष	सम्मिश्रित पद्धति— पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)/सीधी भर्ती	प्रतिनियुक्ति: केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या अर्धसरकारी या स्वायत्त या संवैधानिक संगठनों के अधिकारी (क) (i)मूल संवर्ग/ विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर अथवा (ii)मूल संवर्ग या विभाग में लेवल-13 (रु. 118500-214100) (संशोधन पूर्व वेतनमान पीबी-4 रु.37400-67000 ग्रेड पे रु.8700 छठे सीपीसी में) पर नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर समर्पित ग्रेड में 2 वर्ष की सेवा अथवा (iii)मूल संवर्ग या विभाग में लेवल-12 (रु. 78800-209200) (संशोधन पूर्व वेतनमान पीबी-3 रु.15600-39100 ग्रेड पे रु.7600 छठे सीपीसी में) पर नियुक्ति के पश्चात् समर्पित ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताओं के साथ: अनिवार्य: i.बी.आर्क/ बी.ई (सिविल)/नियोजन में स्नातक/एम.ए. (भूगोल) एवं शहरी/ क्षेत्रीय नियोजन में स्नातकोत्तर ii.स्थानीय निकाय अथवा सरकारी/ सरकारी उपक्रम या मान्यता प्राप्त संस्थान में नगर तथा क्षेत्रीय योजना में 15 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 5 वर्ष नगर/ क्षेत्र/ नगर एवं ग्राम योजना तैयार करने तथा उसके कार्यान्वयन एवं अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन एवं निगरानी का अनुभव हो।

			<p>अवधि: प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष होगी जिसे वर्ष दर वर्ष कार्य मूल्यांकन के आधार पर दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।</p> <p>नोट: केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए तत्काल समावेशन के नियम से छूट प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु आवश्यक नहीं है।</p> <p><u>पदोन्नति:</u> संयुक्त निदेशक (तक.) जिसकी लेवल-12 (रु. 78800-209200) (संशोधन पूर्व वेतनमान पीबी-3 रु.15600-39100 ग्रेड पे रु.7600 छठे सीपीसी में) पर नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर समर्पित ग्रेड में 6 वर्ष की सेवा हो</p> <p><u>सीधी भर्ती:</u> (i) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या अर्धसरकारी या स्वायत्त या संवैधानिक संगठनों के अधिकारी (क) (i)मूल संवर्ग/ विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर अथवा (ii)मूल संवर्ग या विभाग में लेवल-13 (रु. 118500-214100) (संशोधन पूर्व वेतनमान पीबी-4 रु.37400-67000 ग्रेड पे रु.8700 छठे सीपीसी में) पर नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर समर्पित ग्रेड में 2 वर्ष की सेवा अथवा (iii)मूल संवर्ग या विभाग में लेवल-12 (रु. 78800-209200) (संशोधन पूर्व वेतनमान पीबी-3 रु.15600-39100 ग्रेड पे रु.7600 छठे सीपीसी में) पर नियुक्ति के पश्चात् समर्पित ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा। (ख) सीधी भर्ती हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य अर्हताओं के साथ।</p> <p>(ii)जाने माने निजी संगठनों/ संस्थानों के अधिकारी जिनको क्षेत्रीय/नगर नियोजन में 15 वर्षों का अनुभव हो जिसमें से कम से कम 5 वर्ष नगर/क्षेत्र/नगर एवं ग्राम योजना तैयार करने तथा उसके कार्यान्वयन एवं अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन एवं निगरानी का अनुभव हो। एवं</p> <p>सीधी भर्ती हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य अर्हताओं सहित</p> <p>नोट 1. शहरी/क्षेत्रीय नियोजन में स्नातकोत्तर के पश्चात् का अनुभव ही मान्य होगा</p> <p>नोट 2. संयुक्त निदेशक (तकनीकी) के प्रदायक ग्रेड का कोई विभागीय उम्मीदवार जिसने लेवल 12 (रु.78800-209200) (संशोधन पूर्व वेतनमान पीबी-3 रु.15600-39100 ग्रेड पे रु.7600 छठे सीपीसी में) पर 6 वर्ष की</p>
--	--	--	--

			<p>नियमित सेवा की हो वो भी इस पद के लिए बाह्य उम्मीदवारों के साथ, पात्रता रखता है तथा अगर ऐसे किसी उम्मीदवार का चयन होता है तो वह चयन पदोन्नति द्वारा माना जाएगा।</p> <p>नोट 3. प्रतिनियुक्ति की अवधि, इस नियुक्ति से पूर्व केन्द्र सरकार के उसी विभाग या किसी अन्य कार्यालय या विभाग में किसी अन्य पूर्व काडर पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सहित 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती।</p> <p>नोट 4. प्रतिनियुक्ति पर भर्ती हेतु आयु सीमा आवेदन प्राप्त की आखिरी तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>
--	--	--	--

अगर विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की परिस्थिति
12	13
कार्मिकों के समूह द्वारा चयन तथा बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात् नियुक्ति। कार्मिकों के समूह की संरचना बोर्ड की अधिसूचना सं.के. 14011/13/85-रा.रा.क्षेयो.बो, दिनांक 8/7/1985 के अनुरूप होगी।	लागू नहीं

संयुक्त निदेशक (तकनीकी):

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड व ग्रेड पे/वेतनमान	चयनित अथवा गैर चयनित पद	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ
1	2	3	4	5	6	7
संयुक्त निदेशक (तकनीकी)	2	ग्रुप ए	लेवल-12 (रु.78800-209200) 7वे सीपीसी के अनुसार (संशोधन पूर्व वेतनमान पीबी-3 रु.15600-39100 ग्रेड पे रु.7600/-छठे सीपीसी में)	लागू नहीं	50 वर्ष	<p>अनिवार्य:</p> <p>(i)बी.आर्क अथवा बी.ई (सिविल) अथवा बी.प्लानिंग अथवा भूगोल या अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से तथा</p> <p>(ii)क्षेत्रीय/नगर/शहरी/परिवहन/अवसंरचना/पर्यावरण नियोजन में स्नातकोत्तर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से तथा</p> <p>(iii)किसी स्थानीय निकाय अथवा सरकारी/सरकारी उपक्रम या मान्यता प्राप्त संस्थान में नगर तथा क्षेत्रीय नियोजन में 9 वर्षों का अनुभव जिसमें से कम से कम 3 वर्ष नगर/क्षेत्र/नगर एवं ग्राम योजना तैयार करने तथा उसके कार्यान्वयन एवं अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन एवं निगरानी का अनुभव हो।</p> <p>नोट: शहरी/क्षेत्रीय नियोजन में स्नातकोत्तर के पश्चात् का अनुभव ही मान्य होगा</p>

क्या पदोन्नति मामलो में भी सीधी भर्ती हेतु तय की गई आयु तथा शैक्षिक अर्हताएँ मान्य होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो तो,	भर्ती पद्धति: सीधी भर्ती / पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण तथा विभिन्न पद्धतियों से भर्ती का प्रतिशत	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन जिस ग्रेड से किया जाना है
8	9	10	11
आयु - लागू नहीं सीधी भर्ती हेतु मान्य अर्हताएँ पदोन्नति मामलो में भी लागू होगी	दो वर्ष	पदोन्नति न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) न हो पाने पर, सीधी भर्ती	<p>पदोन्नति: बोर्ड में कार्यरत उपनिदेशक (तकनीकी) जो सीधी भर्ती में आवश्यक शैक्षिक अर्हताएँ एवं अन्य योग्यताएँ रखता हो तथा 7वें सीपीसी में लेवल 11 (रु.67700-208700) (पूर्व संशोधन वेतनमान पीबी-3 रु.15600-39100 ग्रेड पे रु. 6600 छठे सीपीसी में) पर 5 वर्ष की नियमित सेवा हो, वरिष्ठता आधार पर पदोन्नति हेतु पात्र उम्मीदवार हैं। [विभागीय उम्मीदवार (उपनिदेशक-तकनीकी एवं उपनिदेशक-जीआईएस) जो इस अधिसूचना से पूर्व नियुक्त किए गए हैं, वे भी पदोन्नति हेतु योग्यता रखते हैं, यदि वे पदोन्नति हेतु पूर्व भर्ती नियम में दी गई शर्तें पूरी करते हों अथवा पदोन्नति हेतु वर्तमान भर्ती नियम में दी गई शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ पूरी करते हो],</p> <p>नोट 1. “जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा बशर्ते उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इसमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी की हो।”</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / संघ शासित प्रदेश सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र / अर्धसरकारी / स्वायत्त / संवैधानिक संगठनों के अधिकारी</p> <p>(i) मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हो, या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग / विभाग में लेवल-11 (रु.67700-208700) (संशोधन पूर्व वेतनमान पीबी-3 रु.15600-39100 ग्रेड पे रु.6600 छठे सीपीसी में) या समकक्ष पर नियुक्ति के पश्चात् प्रदत्त ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा हो,</p> <p>i. सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अनिवार्य योग्यताओं सहित</p> <p>नोट 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि 4 वर्ष होगी। प्रारंभ में 3 वर्ष जोकि कार्य मूल्यांकन के आधार पर एक वर्ष बढ़ाई जा सकती है।</p> <p>नोट 2. प्रदायक ग्रेड के विभागीय उम्मीदवार, जो पदोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार प्रतिनियुक्त उम्मीदवार भी पदोन्नति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>नोट 3. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की आयु सीमा आवेदन</p>

			प्राप्ति की अंतिम तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नोट 4. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए तत्काल समावेशन के नियम से छूट प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु आवश्यक नहीं है।
--	--	--	--

अगर विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की परिस्थिति
12	13
कार्मिकों के समूह द्वारा चयन तथा बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात् नियुक्ति। कार्मिकों के समूह की संरचना बोर्ड की अधिसूचना सं.के.14011/13/85-संरक्षयोबो, दिनांक 8/7/1985 के अनुरूप होगी।	--

उप निदेशक (प्रशासन):**अनुसूची**

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड व ग्रेड पे/वेतनमान	चयनित अथवा गैर चयनित पद	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ
1	2	3	4	5	6	7
उप निदेशक (प्रशासन)	1	युप ए	लेवल-11 (रु.67700-208700) 7वे सीपीसी के अनुसार (संशोधन पूर्व वेतनमान पीबी-3 रु. 15600-39100 ग्रेड पे रु. 6600/- छठे सीपीसी में)	लागू नहीं	50 वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक वांछित: (i) विधि में स्नातक (ii) प्रशासन अथवा कार्मिक प्रबंधन में एम बी ए (iii) सार्वजनिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर अनुभव: नियमित आधार पर लेवल 10 (रु. 56100-177500) (सातवां सीपीसी) (संशोधन पूर्व वेतनमान पीबी-3 रु. 15600-39100 ग्रेड पे रु. 5400 छठे सीपीसी में) में सरकारी/स्वायत्त/सार्वजनिक उपक्रम में प्रशासन एवं स्थापना कार्य के साथ 5 वर्षों की नियमित सेवा

क्या पदोन्नति मामले में भी सीधी भर्ती हेतु तय की गई आयु तथा शैक्षिक अर्हताएँ मान्य होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो तो,	भर्ती पद्धति: सीधी भर्ती / पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण तथा विभिन्न पद्धतियों से भर्ती का प्रतिशत	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेशन जिस ग्रेड से किया जाना है
8	9	10	11
लागू नहीं सीधी भर्ती हेतु मान्य अर्हताएँ पदोन्नति मामले में भी लागू होगी	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष	पदोन्नति न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) न हो पाने पर, सीधी भर्ती	पदोन्नति: आंतरिक उम्मीदवार जो सहायक निदेशक (प्रशा. /स्था.) के पद पर लेवल-10 (रु. 56100-177500) (सातवां सीपीसी) (संशोधन पूर्व वेतनमान पीबी-3 रु.15600-39100 ग्रेड पे रु. 5400 छठे सीपीसी में) पर 5 वर्षों का अनुभव रखते हो वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए योग्य होंगे।

		<p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्र सरकार/राज्य सरकार संगठन अथवा सार्वजनिक उपक्रम में लेवल-10 (रु. 56100-177500) (सातवां सीपीसी) (संशोधन पूर्व वेतनमान पीबी-3 रु.15600-39100 ग्रेड पे रु. 5400 छठे सीपीसी में) पर मूल संवर्ग या सदृश पद पर नियमित आधार पर 5 वर्षों का अनुभव तथा सीधी भर्ती हेतु आवश्यक योग्यताएँ पूर्ण करने वाला उम्मीदवार प्रतिनियुक्ति हेतु योग्य होगा</p> <p>नोट 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि 4 वर्ष होगी। प्रारंभ में 3 वर्ष जोकि कार्य मूल्यांकन के आधार पर एक वर्ष बढ़ाई जा सकती है। नोट 2. प्रदायक ग्रेड के विभागीय उम्मीदवार, जो पदोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार प्रतिनियुक्त उम्मीदवार भी पदोन्नति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नोट 3. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की आयु सीमा आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नोट 4. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए तत्काल समावेशन के नियम से छूट प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु आवश्यक नहीं है।</p>
--	--	---

अगर विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की परिस्थिति
11	12
रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड की दिनांक 8/7/1985 की अधिसूचना सं. के. 14011/13/85-राराक्षेयोबो, के अनुसार चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सदस्य सचिव द्वारा चयन किया जाएगा।	--

बी. के. त्रिपाठी, सदस्य सचिव,
[विज्ञापन-III /4/असा. /411/17]

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS
(National Capital Region Planning Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2018.

No.A-12011/1/2017-Estt.(Vol-I).— In exercise of the powers conferred by section 37 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985), and in continuation of the National Capital Region Planning Board Recruitment & Promotion Rules, 2006 published vide No. A-12011/1/2005-Estt. dated 25th October, 2006 and National Capital Region Planning Board Recruitment & Promotion (Amendment) Rules, 2015 published vide No. A-12011/2/2015-Estt. dated 27th July, 2016, the NCR Planning Board hereby makes the following amendments in the method of recruitment to the posts of **Chief Regional Planner, Joint Director (Technical) and Deputy Director (Administration)**, National Capital Regional Planning Board namely:-

1. Short title and commencement –

(i) These regulations may be called the "National Capital Region Planning Board Recruitment & Promotion (Amendment) Regulations, 2017".

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notifications No. A-12011/1/2005-Estt. dated 25th October, 2006 and No. A-12011/2/2015-Estt. dated 27th July, 2016, the tables in respect of the posts of Chief Regional Planner, Joint Director (Technical) and Deputy Director (Administration) given after the clause 14.2 of the Notifications, are substituted with the following Schedules:-

Chief Regional Planner:-**SCHEDULE**

Name of Post	No. of Posts	Classification	Pay Band and Grade Pay / Pay scale	Whether Selection Post or non-Selection post.	Age limit for direct recruits	Education and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Chief Regional Planner	One	Group 'A'.	Level-13A (Rs.131100-216600) (pre revised scale PB-4 Rs.37400-67000 grade pay Rs 8900 in 6 th CPC)	Not applicable.	50 years	<p>Essential:</p> <p>(i) B. Arch/ B.E. (Civil)/ Bachelor of Planning/ M.A. (Geography) and Post Graduate Degree in Urban/ Regional Planning.</p> <p>(ii) 15 years' experience in the field of town and regional planning in a local body or in a Government/ Govt. undertaking or in a recognized institution, out of which at least 5 years in preparation and implementation of urban/regional/town & country planning and monitoring of infrastructure projects.</p> <p>Desirable: Fellow of Institute of Town Planners (F.I.T.P.)</p>

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
---	-----------------------------	---	--

8	9	10	11
<p>Age not applicable. Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.</p>	<p>One year in case of direct recruits</p>	<p>Composite method- Promotion / Deputation (including short term contract) / Direct Recruitment.</p>	<p>Deputation:</p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Union Territory Govts. or Public Sector Undertaking or semi Government or Autonomous or Statutory organizations –</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department, or</p> <p>(ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band of Level-13 (Rs.118500-214100) (pre revised scale PB-4 Rs.37400-67000 grade pay Rs.8700 in 6th CPC); or</p> <p>(iii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band of Level-12 (Rs.78800-209200) (pre revised scale PB-3 Rs.15600-39100 grade pay Rs. 7600 in 6th CPC); and</p> <p>(b) Possessing the following educational qualifications, namely:-</p> <p>Essential:</p> <p>(i) B. Arch/ B.E. (Civil)/ Bachelor of Planning/ M.A. (Geography) and Post Graduate Degree in Urban/ Regional Planning.</p> <p>(ii) 15 years' experience in the field of town and regional planning in a local body or in a Government/ Govt. undertaking or in a recognized institution, out of which at least 5 years in preparation and implementation of urban/regional/town & country planning and monitoring of infrastructure projects.</p> <p>Period: Period of deputation will be initially for three years extendable by two years on a year to year basis on the basis of performance assessment.</p> <p>Note: Exemption from Rule of Immediate Absorption for Central Government Employees is not required on appointment on deputation.</p> <p>Promotion:</p> <p>Joint Director (Tech) having 6 years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band of Level-12 (Rs.78800-209200) (pre revised scale PB-3 Rs.15600-39100 grade pay Rs. 7600 in</p>

			<p>6th CPC).</p> <p>Direct Recruitment:</p> <p>(i) Officers of the Central Government or State Government or Union Territory Govts. or Public Sector Undertaking or semi Government or Autonomous or Statutory organizations –</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department, or (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band of Level-13 (Rs.118500-214100) (pre revised scale PB-4 Rs.37400-67000 grade pay Rs. 8700 in 6th CPC); or (iii) with 6 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band of Level-12 (Rs.78800-209200) (pre revised scale PB-3 Rs.15600-39100 grade pay Rs. 7600 in 6th CPC); and</p> <p>(b) Possessing the Educational and other qualification required for direct recruits.</p> <p>(ii) Officers of the reputed private organisations/ institutions with 15 years experience in the field of town and regional planning, out of which at least 5 years in preparation and implementation of urban/regional/town & country planning and monitoring of infrastructure projects; and</p> <p>Possessing the Educational and other qualification required for direct recruits.</p> <p>Note-1. Total experience would count after acquiring the Post Graduate Degree in Urban/ Regional Planning.</p> <p>Note-2. A departmental candidate in the feeder grade of Joint Director (Technical) in the pay band of Level-12 (Rs.78800-209200) (pre revised scale PB-3 Rs.15600-39100 grade pay Rs. 7600 in 6th CPC) with six years' regular service in the grade shall also be eligible to be considered for this post along with the outsiders and in case he is selected, his appointment shall be deemed to have been made by promotion.</p> <p>Note-3. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department</p>
--	--	--	---

			of the Central Government shall not exceed initially for five years. Note-4. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years, as on the closing date of the receipt of applications.
--	--	--	---

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13
Selection by Personnel Group and appointment to be made after approval by the Chairman of the Board. The composition of the Personnel Group, as per the NCRPB Notification No. K-14011/13/85-NCRPB, dated 8.7.1985	Not applicable.

Joint Director (Technical):-**SCHEDULE**

Name of Post	No. of Posts	Classification	Pay Band and Grade Pay / Pay scale	Whether Selection Post or non-Selection post	Age limit for direct recruits	Education and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Joint Director (Technical)	Two	Group 'A'	Level-12 (Rs.78800-209200) as per 7 th CPC (pre revised scale PB-3 Rs.15600-39100 grade pay Rs. 7600 in 6 th CPC)	Not Applicable	50 years	Essential : (i) B. Arch. or B.E. (Civil) or B. Planning or Post Graduate Degree in Geography or Economics from a recognized University/Institute; and (ii) Post Graduate Degree in Regional or City or Urban or Transportation or Infrastructure or Environment Planning from a recognized University/Institute; and (iii) 9 years' experience in the field of town and regional planning in a local body or in a Government/ Govt. undertaking or in a recognized institution, out of which at least 3 years in preparation and implementation of urban/regional/town & country planning and monitoring of infrastructure projects.

						Note- Total experience would count after acquiring the Post Graduate Degree in Urban/ Regional Planning.
--	--	--	--	--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.	Period of Probation, if any.	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.
8	9	10	11
Age not applicable. Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Two years	Promotion failing which by Deputation (including short term contract) failing which by Direct Recruitment.	<p>Promotion: Deputy Director (Technical) of the NCR Planning Board possessing the educational and other qualifications required for direct recruits and having five years of regular service in the Level-11 (Rs.67700-208700) (pre revised scale PB-3 Rs.15600-39100 grade pay Rs.6600 in 6th CPC) as per 7th CPC are eligible for promotion for promotion on seniority basis. [Those departmental candidate (DD-Tech and DD-GIS) who have been appointed prior to this notification are also eligible for promotion, either they fulfill the conditions as stipulated in the previous RRs for promotees or possessing the educational and other qualifications required for promotion in the present RRs.]</p> <p>Note 1: “Where juniors who have completed their qualifying services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility services by more than half of such qualifying/ eligibility services or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period of promotion to the next higher grade along with their junior who have already completed such qualifying/ eligibility services.”</p> <p>Deputation: Officers under Central Government. or State Governments. or Union Territory Governments. or Public Sector Undertakings or semi-Govt. or autonomous or statutory organisations:- (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/Department or (ii) with Five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Level-11 (Rs.67700-208700) (pre revised scale PB-3 Rs.15600-39100 grade pay Rs.6600 in 6th CPC) or equivalent in the parent cadre or department. i. Possessing essential qualification as prescribed for Direct Recruitment.</p> <p>Note-1: Period of deputation will be four years. Initially</p>

			<p>for three years extendable by one year on the basis of performance assessment.</p> <p>Note-2: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note-3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note-4: Exemption from Rule of Immediate Absorption for Central Government Employees is not required on appointment on deputation.</p>
--	--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13
Selection by Personnel Group and appointment to be made after approval by the Chairman of the Board. The composition of the Personnel Group, as per the NCRPB Notification No. K-14011/13/85-NCRPB, dated 8.7.1985	--

Deputy Director (Administration):-

SCHEDULE

Name of Post	No. of Posts	Classification	Pay Band and Grade Pay / Pay scale	Whether Selection Post or non-Selection post.	Age limit for direct recruits	Education and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Deputy Director (Administration)	One	Group 'A'	Level-11 (Rs.67700-208700) as per 7 th CPC (pre revised scale PB-3 Rs.15600-39100 grade pay Rs.6600 in 6 th CPC)	Not applicable.	Not exceeding 50 years.	<p>Essential: Graduate Degree from recognized University. Desirable: (i) Degree in Law (ii) MBA in personnel management or Administration (iii) Post Graduate diploma in Public Administration</p> <p>Experience: Five years' service on regular basis in the pay scale of Level-10 (Rs.56100-177500) (7th CPC) (pre revised scale PB-3 Rs.15600-39100 grade pay Rs.5400 in 6th CPC) in responsible position with Administration & Establishment work in a Govt. Office or</p>

						Autonomous body or Public Sector Undertaking.
--	--	--	--	--	--	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.	Period of Probation, if any.	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.
8	9	10	11
Not applicable.	Two years in case of direct recruitment.	Promotion failing which by Deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.	<p>Promotion: Internal candidates holding the position of Assistant Director (Admn./Estt.) with 5 years experience in Admn./Estt. in the pay scale of Level-10 (Rs.56100-177500) (7th CPC) (pre revised scale PB-3 Rs.15600-39100 grade pay Rs.5400 in 6th CPC) will be eligible for promotion on seniority basis.</p> <p>Deputation: Officers from Central/State Govt. Organization or Public Sector Undertaking with five years in the pay scale of Level-10 (Rs.56100-177500) (7th CPC) (pre revised scale PB-3 Rs.15600-39100 grade pay Rs.5400 in 6th CPC) in the parent cadre or holding analogous post on regular basis in the parent Department and who fulfills the requisite qualification prescribed for direct recruits will be eligible to apply for deputation.</p> <p>Note-1: Period of deputation will be four years. Initially for a period of three years, extendable by one year on the basis of performance assessment.</p> <p>Note-2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note-3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years, as on the closing date of the receipt of applications.</p> <p>Note-4: Exemption from Rule of Immediate Absorption for Central Government Employees is not required on appointment on deputation.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13
The Selection will be made by the Member Secretary on the basis of the recommendations of Selection Committee as per the NCRPB Notification No. K-14011/13/85-NCRPB, dated 8.7.1985	--

B. K. TRIPATHI, Member Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./411/17]